

तामिल हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

30/9/19

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शारिस्ते हो चुकी है सो प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थन पत्र की जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

7/10/19

फैलेकार स. उपा. अग्रार्थीगण उपनदी तलबी अग्रार्थीगण जे. गोरिस आपालय होकर 17/10/19 को पेश हो।

17/10/19

फैलेकार स. उपा. अग्रार्थीगण बाबजूद सूचना के उपनदी से कार्यवाही एकतरफा की जगह पत्रावली वास्टे बहस दिनांक 18/10/19 को पेश हो।

18/10/19


फैलेकार स. उपा. बहस सहाय प्रार्थी व बहस दि. 21/10/19 को पेश हो।

21/10/19

फैलेकार सरकार उपा. ताकत प्रार्थी में राजेशकुमार श्रीगा पटवारी हल्का खरेडा के बधाना कलम बह करवाये। बहस समाप्त की गयी जो मुख्य तप है प्रार्थना पत्र के अनुसार ही। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मुख्य तप है कि आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 0.35 हे. मिन बंजड़ के रूप में आशाकेवर पत्नी सावलकान्त जाति-चारण निवासी जे. अलिगा की गैर खालेदारी में स्थित है अग्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि के प्रयोजन के विपरीत काश्त न कर उक्त गैर खालेदारी भूमि में (अर्बन बजरी का ब्लॉक) बजरी के ब्लॉक उपोन्नत में लिपा जा रहा है जो कृषि से अकृषि कार्य हेतु उपोन्नत में लिपा जा रहा है। जिससे उक्त आराजी पर खालेदारी शर्तों के विपरीत अर्बन बजरी की ब्लॉक बिना रुपावली

12

लिये जाने की स्वीकृति उदान की जगती है। पालनाथ
तहसीलदार शेखरसिंह को तहसीर जारी हो
पत्रावली फौजल कुमार शर्मा दर्ज नम्बर से कम
हो। हुक्म आज दि 21/10/2019 को सुले न्यायालय
में सुनाया गया।


जज अदालत
दोहराया (दिफ)